E-mail: npcc.chamoli@gmail.com
Website: www.npcc.gov.in

एन पी सी सी
NPCC
MINI RATNA-1
PROJECT EXCELLENCE SINCE 1957

National Projects Construction Corporation Limit
(A Government of India Enterpri

UTTRAKHAND ZONAL OFFICE: 98-NEHRU COLONY, DEHRAD
PIN-248001 (UTTARAKHAND) Phone: 0135-2675

Ref. No.- NPCC/PMGSY / THARALI /12 Date: 01/05/2023

सेवा में
श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

विषय : जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भरारीसैंण से परवाड़ी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (online no. FP/UK/Road/38362/2019)

सन्दर्भ : आदेश सं 8 बी /यु ० सी० पी० /06 /28 /2020 /एफ० सी ० / 1120 (भारत सरकार) दिनांक : 31/08 /2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र एवं आदेश के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8 बी /यु ० सी० पी० /06 /28 /2020 /एफ० सी ० / 1120 (भारत सरकार) दिनांक : 31/08/ 2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गयी थी। अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार अनुपालन अख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी ।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 13.105 है० अवनत वनभूमि मैखंडा रि0 क0स0 3(ब) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहाँ तक व्यहवारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें ।	शर्त मान्य है।
	(ख) वन मंडल अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायगा की उक्त सी.ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (ग) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर की दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन तथा स्तम्भन की लागत परीयोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा ।	शर्त मान्य है।

Scanned by CamScanner

	इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किया जा सकते हैं ।	
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायाल WP(c) संख्या 202/1995 में नम्बर 556 दिनॉक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ सी (Pt.2) दिनांक 18.08.2003 5—2/2006—एफ.सी दिनांक 30.10.2006 एवं 5—3/2007— एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.933 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच न्यायालय द्वारा प्रत्यवर्तित वन भूमि शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस संबंध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करेगा।	शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतंम कर देगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों कि संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1333 trees including 603 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों कि कटाई की लागत जमा कि जाएगी ।	शर्त मान्य है।
7	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of Work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will Strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के सात गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रवधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणिक स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा	शर्त मान्य है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन की किसी अन्य कानूनी स्रोतों से प्रयाप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	शर्त मान्य है।
16	संबंधित प्रभागीय या वन अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।

Scanned by CamScanner

17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन कि अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज कि अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो , लक्षित किया जाएगा ।	
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमानित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी ।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे ना गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा । मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें भी बनाई जाएंगी । निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इन स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समय बद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा । मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी ।	शर्त मान्य है।
24	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी कि जिम्मेवारी होगी।	शर्त मान्य है।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोटर्ल (https://parivesh.nic /in/) पर अपलोड की जाएगी	शर्त मान्य है।

भवदीय

वरिष्ठ प्रबंधक

पी ० आई० यू०
एन ० पी ० सी ० सी ० लिमिटेड

Scanned by CamScanner

दिनांक:01/05/2023

प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत **भरारीसैंण से परवाड़ी** मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक **8 बी /यु ० सी० पी० /06 /28 /2020 /एफ० सी ० / 1120 (भारत सरकार) दिनांक : 31/08 /2020** कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गयी थी थी ।

शर्त संख्या 4 क) के अनुपालना में स्वीकृति अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवम वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी दिनांक 05/02/2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार गणना करके प्रभावित क्षेत्र के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि आनलाईन जनरेटेड चालान के अनुसार रूपये 55,36,863.00 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।

शर्त संख्या 4 ख) के अनुपालना विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि,यदि कोई हो,जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जाएगा ।

भवदीय

वरिष्ठ प्रबंधक
पी ० आई० यू०
एन ० पी ० सी ० सी ० लिमिटेड

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः–1238 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 16-09 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पीवएम0एम0जी0एस0, कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधामंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भरारीसैंण से परवाड़ी लिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक संशोधित वृक्षारोपण की धनराशि तथा एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नॉनुसार जमा की जानी हैः–

कसं0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(है0 में)	दर प्रति वृक्ष /है0	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	13.105	337184.00	44,18,796.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व.4)	6.5525 है0	845000.00	55,36,863.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-09-2020

Agency Name.	RES PMGSY KARANPERAYAG
Application No.	6138362436
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/28/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	KaranprayagChamoli
Amount(in Rs)	9955659/-

Amount in Words :Ninety-Nine Lakh Fifty-Five Thousand Six Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-09-2020

Agency Name.	RES PMGSY KARANPERAYAG
Application No.	6138362436
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/28/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Karanprayag Chamoli
Amount(in Rs)	9955659/-

Amount in Words :Ninety-Nine Lakh Fifty-Five Thousand Six Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

9	FP/UK/ROAD/27732/2017 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/27732/2017) Construction of Tharali Kurar Motor Road, km-15 to Gummar Lagga Gerur Link Motor Road under PMGSY in phase-XVI	ROAD277322017015	6127732015	17 Dec 2019	CA: 1118838/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1542125/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2660963/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Jan 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2020 Transaction Date : 30 Jan 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1117129121 2O\` Generated Challan (../UserAccount/Neft pid=ROAD277322017015)
10	FP/UK/ROAD/27734/2017 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/27734/2017) Construction of Tharali to Paingarh Motor Road under PMGSY.	ROAD277342017101	6127734101	02 Jul 2019	CA: 2950054/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 4066140/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 7016194/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Aug 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Aug 2019 Transaction Date : 28 Aug 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/81171219121BLKHNWpaingarh.pdf.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx? pid=ROAD277342017101)
11	FP/UK/ROAD/21204/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/21204/2016) construction of Gairsain (Aagarchatti) to Syuni Malli Motor Road under PMGSY.	ROAD212042016717	6121204717	06 Jul 2018	CA: 2435532/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3692650/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6128182/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 07 Aug 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 Aug 2018 Transaction Date : 02 Nov 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811412161216QGBGXSyunni_Malli_npv_opt.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx? pid=ROAD212042016717)

Scanned by CamScanner

3	FP/UK/ROAD/38362/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/38362/2019) Construction of Bhararisain to Parwadi link Motor road	ROAD383622019436	6138362436	31 Aug 2020	CA: 4418796/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 5536863/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 9955659/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 25 Sep 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Sep 2020 Transaction Date : 22 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/911181271211WLVROddkaran.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD383622019436)
4	FP/UK/ROAD/38366/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/38366/2019) Construction of Dewal kheta MR Km-10(suyalkot) to Mopata Link motor road under PMGSY.	ROAD383662019832	6138366832	14 Oct 2020	CA: 2028499/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2541760/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4570259/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Oct 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 29 Oct 2020 Transaction Date : 21 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/10112212571216M5NUPnpvss.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD383662019832)
5	FP/UK/ROAD/38365/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/38365/2019) Construction of Bungidhar Mehalchauri Bacchuwaban (Km-42) to Devpuri Link motor road under PMGSY.	ROAD383652019901	6138365901	06 Jul 2020	CA: 3358352/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 4208100/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 7566452/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :13 Jul 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 04 Aug 2020 Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/7111012512214XIXBDevpuriiii.pdf.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD383652019901)

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून–248001
दूरभाशः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 28 / 2020 / एफ0सी0 / 1120 दिनांकः 31 / 08 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद –चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भरारीसैंण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन । **(Online no FP/UK/Road/38362/2019)**

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 118/x-3-20/1(15)/2020 दिनांक 06.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/38362/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 26, अगस्त 2020 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद –चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भरारीसैंण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 13.105 हे0 अवनत वन भूमि मैखण्डा ।। क0 सं0 3 ब पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
   ख)वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
   ग) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 6.5525 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1333 trees including 603 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7- State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

25. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(शशि शंकर)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(शशि शंकर)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भराडीसैंण से परवाडी मोटर मार्ग निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मैंखाण्डा क0स0–3ब में 13.105 है0 चयनित क्षेत्र उपयुक्त है।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
जनपद रूद्रप्रयाग

: जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मराडी सैण से परवाडी मोटर मार्ग` निर्माण के ऐवज में दो गुना क्षेत्रफल (13.105 है0) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

1. परियोजना का नाम– कार्यदायी –मराडी सैण से परवाडी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य
2. वृक्षारोपण स्थल का नाम– पैलण्डा II क0सं0 3ब
3. वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल– 13.105 है0
4. रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या 26210 पौध
5. रोपित किये जाने वाले प्रजाति –प्राकृतिकवास के अनुसार

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

क्र०सं०	कार्य विवरण	इकाई		दर	धनराशि
1	2	3		4	
1	सर्वेक्षण व सीमांकन कार्य	13.105	है0	151.00	1978.86
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाड़ी काटना व सफाई करना	13.00	है0	5050.00	65650.00
3	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय (घ0मी0 मे)	1061.50	घ0मी0	500.00	530750.00
4	अग्निरक्षण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	26	सं0	15000.00	390000.00
5	गड्डे खुदान कार्य पर व्यय (0.30X0.30X0.45)	26210	सं0	9.34	244801.40
6	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य पर व्यय	13.105	है0	600.00	7863.00
7	अन्य व्यय जैसे सयत्र क्रय करना औजार तेज करना	2	बार	568.00	1136.00
8	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	26210	सं0	9.00	235890.00
9	क्रम स0 2.3.5.6. पर 12 प्रतिशत जीएसटी0 12.5 प्रतिशत ठेकेदार लाभाश 1 प्रतिशत लेबर सेल्स यो 25.5 प्रतिशत	849064	x 25.5 %	216511.32	216511.32
10	क्रम स0 4 पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0	390000	x 12.0 %	46800.00	46800.00
	योग प्रथम वर्ष				1741380.58
	द्वितीय चरण				
1	गड्डे भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	26210	सं0	1.78	46653.80
2	वृक्षारोपण से पूर्व क्षेत्र की झाडी कटान व सफाई करना	13.00	है0	2363.00	30719.00
3	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	26210	सं0	2.13	55827.30
4	पौध ढुलान का कार्य पर व्यय	26210	सं0	11.00	288310.00
5	पौध रोपण तथा थावला बन्दी कार्य पर व्यय	26210	सं0	3.46	90686.60
6	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	26210	सं0	1.00	26210.00
7	दो बार निराई गुडाई व मल्चिग पर व्यय	26210	सं0	4.43	116110.30
8	पौधो पर कल्चर कार्य	2000	सं0	4.13	8260.00
8	देख–रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	13.105	है0	595.00	54582.33
9	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनसील पदार्थो को हटाना	13.105	है0	600.00	7863.00
10	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना।	13.105	है0	212.00	2778.26
11	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा मे उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियो /समितियों को प्रोत्साहन देना 1– प्रशिक्षण	2	सं0	10000.00	20000.00
	2– प्रोहत्साहन	2	सं0	15000.00	30000.00
12	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एवं पौलीथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्योमेटेशन आदि कार्य	13.105	है0	L-S	15000.00
9	क्रम स0 1. 2.4.5 पर 12 प्रतिशत जीएसटी0 12.5 प्रतिशत ठेकेदार लाभाश 1 प्रतिशत लेबर सेल्स यो 25.5 प्रतिशत	456369	x 25.5 %	116374.10	116374.10
	योग द्वितीय चरण				909374.69
	तृतीय चरण				
1	पौध की कीमत	500		11	5500
2	पौध ढुलान का कार्य पर व्यय	500		13	6500
3	पुनः गड्डा खोदना तथा रोपण करना	500		6	3000
4	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	595.00	93569.70
5	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनसील पदार्थो को हटाना	13.105	है0	600.00	7863.00
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	13.105	है0	212.00	2778.26
7	शीतकाल मे पौधो की गुडाई एवं मल्चिग करना	26210		2.05	53730.50
8	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा मे उल्लेखनीय	1	सं0	16000.00	16000.00
	2– प्रोहत्साहन	1	सं0	15000.00	15000.00
	योग तृतीय चरण				188941.46

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी

Scanned by CamScanner

1	2	3		4		
	चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	595.00	प्रति है0	**11450.00**
	योग चतुर्थ चरण					**11450.00**
	पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	655.000	प्रति है0	103005.30
	योग पंचम चरण					**103005.30**
	षष्टम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	720.00	प्रति है0	113227.20
	योग षष्टम चरण					**113227.20**
	सप्तम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्टम वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	792.000	प्रति है0	124549.92
	योग सप्तम चरण					**124549.92**
	अष्टम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	885.000	प्रति है0	139175.10
	योग अष्टम चरण					**139175.10**
	नवम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	973.00	प्रति है0	153013.98
	योग नवम चरण					**153013.98**
	दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	1070.00	प्रति है0	168268.20
	योग दशम चरण					**168268.20**
	कुल योग					**3652386.43**
	या					**3652000.00**

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
जनपद रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत भराडीसैंण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007 –एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नाँनुसार हैः–

1– इको–क्लास की श्रेणी.......................... V

2– हरियाली का धनत्व.............................0.4

3–एन0पी0वी0 की दर 845000.00

4–आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल............... 6.5525 है0

5–कुल देय एन0पी0वी0........................रू0 55,36,862.00

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रारुप–19

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत भरारीसैण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 हे0 सिविल /वन पंचायत भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 9.30 किमी0।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 08/02/19 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन पंचायत भूमि , सिविल भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई ।

क0सं0	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग
					0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	
1	वन पंचायत भूमि	परवाडी	बांज		120	120	113	50	17	4	1		–	1	426
			तिलोज		200	177	37	2	–	–	–	–	–	–	416
			बुरांस		24	13	5	–	–	–	–	–	–	–	42
			नाशपाती		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
			अंयार		12	9	1	1	–	–	–	–	–	–	23
			मेहल		4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	7
			सुरइ		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
			चीड		5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	14
			उतीस		6	7	7	1	–	–	–	–	–	–	21
			सौड		3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	8
			काफल		22	2	2		–	–	–	–	–	–	26
			खिलिक		1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
			पौपुलर		–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
			मजनू		–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
					403	**344**	**169**	**55**	**17**	**4**	**1**	**0**	**0**	**1**	**994**
2	सिविल परवाडी		बांज		65	52	17	3	1	–	–	–	–	–	138
			तिलोज		115	32	6	1	1	–	–	–	–	–	155
			बुरांस		10	9	–	–	–	–	–	–	–	–	19
			काफल		2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3
			चीड		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
			अंयार		1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	4

			उतीस		1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	4
			मेहल		4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5
			खिलिक		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	4
			सौड		–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	6
Total			–		200	104	28	5	2	0	0	0	0	0	339
3	नाप भूमि परवाडी मैलाणा		बांज		165	134	24	2	1	1	–	–	–	–	327
			तिलोंज		23	10	4	–	–	–	–	–	–	–	37
			अंयार		6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8
			काफल		9	6	1	–	–	–	–	–	–	–	16
			उतीस		–	6	2	2	1	–	–	–	–	–	11
			सौड		–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	3
			कुकाट		–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
			खिलिक		6	7	7	4	–	1	–	–	–	–	25
			पदम		1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	4
			मेहल		6	1	–	1	–	–	–	–	–	–	8
			मजनू		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
			सुरइ		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Total					216	172	41	9	2	2	0	0	0	0	442
Total			–												
Grant Total					819	620	238	69	21	6	1	0	0	1	1775

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी (stamp: सोहन सिंह नेगी) प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रारुप–19

ारियोजना का नामः– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत भरारीसैण से रवाडी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 हे0 सिविल /वन पंचायत भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 9.) किमी0।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

0 0	भूमि की श्रेणी	व्यास वर्ग										
		0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
1	वन पंचायत भूमि	403	344	169	55	17	4	1	0	0	1	994
	Total	**403**	**344**	**169**	**55**	**17**	**4**	**1**	**0**	**0**	**1**	**994**
2	सिविल परवाडी	200	104	28	5	2	0	0	0	0	0	339
	Total	**200**	**76**	**36**	**5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339**
3	नाप भूमि परवाडी मैलाणा	216	172	41	9	2	2	0	0	0	0	442
	Total	**216**	**172**	**41**	**9**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442**
	Grant Total	**819**	**619**	**239**	**69**	**21**	**6**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1775**

वन क्षेत्राधिकारी
मोहन्ना रेंज गैरसैण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नामः—जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसे।ण जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत भरारीसैंण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 हे0 सिविन/वन पंचायत भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तानतरण प्रस्ताव लम्बाई 9.30 किमी0।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों मे से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र0स0	भूमि की श्रेणी	विद्यामान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1	वन पंचायत भूमि	994	994	बॉज,तिलॉज बुरांश नाशपाती,अयांर मेहल सुरई चीड़ उतीस,सौड काफल खिलिक पॉपुलर
2	सिविल वन भूमि	339	339	बॉज,उतीस,काफल,खिलिक, सौड़ तिलोज,बुराश,चीड,अयार,मेहल
3	नाम भूमि	442	442	अंयार, तिलॉज काफल,सौड बॉज,कुकाट,मेहल,पदम खिलिक मेहल मजनू,सुरई
Grant Total		1775	1775	उपरोक्तानुसार

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज गैरसैण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

भराड़ीसैंण परवाड़ी प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची दूरी 1.30 किमी लोहबा वनक्षेत्र गैरसैंण केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग - गोपेश्वर

जीपीएस प्रथमबिन्दु H-2274 मी० N-30°05'37.21" E-079°15'59.53"
अन्तिम बिन्दु H-1831 मी० N 30°04'53.03" E-079°15'32.36"

	प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-अधिक	योग
परवाड़ी वनपंचायत	बांज	120	120	113	50	17	4	1	–	–	1	426
	तिलौंज	200	177	37	2	–	–	–	–	–	–	416
	खुराश	24	13	5	–	–	–	–	–	–	–	42
	नाशपाती	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	अंयार	12	9	1	1	–	–	–	–	–	–	23
	मेहल	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	7
	सुरई	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	चीड़	5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	14
	उतीस	6	7	7	1	–	–	–	–	–	–	21
	सौड़	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	8
	काफल	22	2	2	–	–	–	–	–	–	–	26
	खिल्लिक	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	पोपुलर	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
	मजनू	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
परवाड़ी सिविल	बांज	65	52	17	3	1	–	–	–	–	–	138
	तिलौंज	115	32	6	1	1	–	–	–	–	–	155
	खुराश	10	9	–	–	–	–	–	–	–	–	19
	काफल	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	चीड़	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	अंयार	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	4
	उतीस	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	4
	मेहल	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	खिल्लिक	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	सौड़	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	6
नाप भूमि (परवाड़ी, मेलाना)	बांज	165	134	24	2	1	1	–	–	–	–	327
	तिलौंज	23	10	4	–	–	–	–	–	–	–	37
	अंयार	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	काफल	9	6	1	–	–	–	–	–	–	–	16
	उतीस	–	6	2	2	1	–	–	–	–	–	11
	सौड़	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	3
	कुकाट	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	खिल्लिक	6	7	7	4	–	1	–	–	–	–	25
	पदम	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	मेहल	6	1	–	1	–	–	–	–	–	–	8
	मजनू	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	सुरई	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
योग		819	619	239	69	21	6	1	–	–	1	1775

(अमर सिंह नेगी)
वन दरोगा
(हस्ताक्षर)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वनक्षेत्र गैरसैंण

<u>आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

परियोजना का नामः–जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत **भरारीसैण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।**

आज दिनांक 15/02/19 को ग्राम सभा परवाडी (मैझा मल्ला व तल्ला) की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **भरारीसैण से परवाडी लिंक** मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आप्पती नही है।

1- शिवासिंह
2 धनासिंह
3- भेदरी देवी
4- दर्शानासिंह
5- नन्दी देवी
6. श्यामासिंह
7 गोपालसिंह
8. नन्दासिंह
9 - श्यामसिं

शिवासिंह
भेदरी देवी
नन्दी देवी
श्यामासिंह

प्रधान ग्राम पंचायत परवाड़ी ह0 दि0 वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

सरपंच वन पंचायत परवाड़ी लोहबा (चमोली)

पूनम देवी
अध्यक्ष कोषाध्यक्ष
महिला मंगल दल परवाड़ी
गैरसैंण (चमोली)

क्षतिपूरक वृक्षारापण की धनराशि वहन् किये जाने हेतु प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत भरारीसैण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में वृक्षारोपण हेतु आवष्यक धनराषि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड षासन द्वारा वहन् की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
ग्रा0नि0वि0 पी0एम0जी0एस0वाई0
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
ग्रा0नि0वि0 पी0एम0जी0एस0वाई0
कर्णप्रयाग

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत मराडी सैण से परवाडी मोटर मार्ग` निर्माण के ऐबज में दो गुना क्षेत्रफल (13.105 है0) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

1. परियोजना का नाम- [illegible] -मराडी सैण से परवाडी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य
2. वृक्षारोपण स्थल का नाम- [illegible] II क0सं0 3ब
3. वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल- 13.105 है0
4. रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या 26210 पौध
5. रोपित किये जाने वाले प्रजाति -प्राकृतिकवास के अनुसार

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

क्र0सं0	कार्य विवरण	इकाई		दर		धनराशि
1	2	3		4		
1	सर्वेक्षण व सीमांकन कार्य	13.105	है0	151.00		1978.86
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाडी काटना व सफाई करना	13.00	है0	5050.00		65650.00
3	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय (घ0मी0 मे)	1061.50	घ0मी0	500.00		530750.00
4	अभिचिन्हन व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	26	सं0	15000.00		390000.00
5	गड्डे खुदान कार्य पर व्यय (0.30X0.30X0.45)	26210	सं0	9.34		244801.40
6	निरीक्षण बेरिया निर्माण कार्य पर व्यय	13.105	है0	600.00		7863.00
7	अन्य व्यय जैसे यन्त्र क्रय करना औजार तेज करना	2	बार	568.00		1136.00
8	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	26210	सं0	9.00		235890.00
9	क्रम स0 2.3.5.6. पर 12 प्रतिशत जीएसटी0 12.5 प्रतिशत ठेकेदार लाभाश 1 प्रतिशत लेबर सेल्स यो 25.5 प्रतिशत	849064	x 25.5 %	216511.32		216511.32
10	क्रम स0 4 पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0	390000	x 12.0 %	46800.00		46800.00
	योग प्रथम वर्ष					1741380.58
	द्वितीय चरण					
1	गड्डा भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	26210	सं0	1.78		46653.80
2	वृक्षारोपण से पूर्व क्षेत्र की झाडी कटान व सफाई करना	13.00	है0	2363.00		30719.00
3	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	26210	सं0	2.13		55827.30
4	पौध ढुलान का कार्य पर व्यय	26210	सं0	11.00		288310.00
5	पौध रोपण तथा थावला बन्दी कार्य पर व्यय	26210	सं0	3.46		90686.60
6	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	26210	सं0	1.00		26210.00
7	दो बार निराई गुडाई व मल्चिग पर व्यय	26210	सं0	4.43		116110.30
8	पौधो पर कल्चर कार्य	2000	सं0	4.13		8260.00
8	देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	13.105	है0	595.00		54582.33
9	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनसील पदार्थो को हटाना	13.105	है0	600.00		7863.00
10	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना।	13.105	है0	212.00		2778.26
11	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा मे उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियो /समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	2	सं0	10000.00		20000.00
	2- प्रोहत्साहन	2	सं0	15000.00		30000.00
12	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एव पौलीथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्योमेटेशन आदि कार्य	13.105	है0	L-S		15000.00
9	क्रम स0 1, 2,4,5 पर 12 प्रतिशत जीएसटी0 12.5 प्रतिशत ठेकेदार लाभाश 1 प्रतिशत लेबर सेल्स यो 25.5 प्रतिशत	456369	x 25.5 %	116374.10		116374.10
	योग द्वितीय चरण					909374.69
	तृतीय चरण					
1	पौध की कीमत	500		11		5500
2	पौध ढुलान का कार्य पर व्यय	500		13		6500
3	पुन गड्डा खोदना तथा रोपण करना	500		6		3000
4	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	595.00		93569.70
5	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनसील पदार्थो को हटाना	13.105	है0	600.00		7863.00
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	13.105	है0	212.00		2778.26
7	शीतकाल मे पौधो की गुडाई एव मल्चिग करना	26210		2.05		53730.50
8	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा मे उल्लेखनीय	1	सं0	16000.00		16000.00
	2- प्रोहत्साहन	1	सं0	15000.00		15000.00
	योग तृतीय चरण					188941.46

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी

Scanned by CamScanner

1	2	3		4		
	चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	595.00	प्रति है0	**11450.00**
	योग चतुर्थ चरण					**11450.00**
	पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	655.000	प्रति है0	103005.30
	योग पंचम चरण					**103005.30**
	षष्टम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	720.00	प्रति है0	113227.20
	योग षष्टम चरण					**113227.20**
	सप्तम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्टम वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	792.000	प्रति है0	124549.92
	योग सप्तम चरण					**124549.92**
	अष्टम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	885.000	प्रति है0	139175.10
	योग अष्टम चरण					**139175.10**
	नवम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	973.00	प्रति है0	153013.98
	योग नवम चरण					**153013.98**
	दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष मे रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	13.105	है0	1070.00	प्रति है0	168268.20
	योग दशम चरण					**168268.20**
	कुल योग					**3652386.43**
					या	**3652000.00**

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
जनपद रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 1238 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 16-09 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पीवएम0एम0जी0एस0, कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधामंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत भरारीसैंण से परवाड़ी लिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक संशोधित वृक्षारोपण की धनराशि तथा एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नॉनुसार जमा की जानी हैः–

क्रसं0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(है0 में)	दर प्रति वृक्ष /है0	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	13.105	337184.00	44,18,796.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व.4)	6.5525 है0	845000.00	55,36,863.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत भराडीसैंण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नाँनुसार हैः–

1– इको–क्लास की श्रेणी.......................... V

2– हरियाली का धनत्व.............................. 0.4

3–एन0पी0वी0 की दर 845000.00

4–आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल................ 6.5525 है0

5–कुल देय एन0पी0वी0........................रू0 55,36,862.00

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।